भारत में स्थानीय स्वशासनः एक कदम सफलता की ओर

निरंजन सिंह
(प्रवक्ता)
राजनीति विज्ञान विभाग
श्रीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन
बागपत

ईमेलः niranjansingh59630@gmail.com

सारांशः

यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सिथिति पुरानी सिथिति से बहुत बेहतर है। अब स्थानीय स्वशासन की इकाइयो को संवैधानिक मान्यता मिल गयी है। राज्य की सरकार इन निकायो के अस्तित्व से खिलवाड नही कर सकती। यदि किसी संवैधानिक प्रावधान का हनन होता है तो उपयुक्त उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर की जा सकती है। सरकारी तंत्र का दबदबा समाप्त हो चुका है तथा इन निकायो की वित्तीय स्थिति भी बहुत सुधर गयी है। अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो महिलाओ तथा अन्य पिछडे वर्गो को स्थानो का आरक्षण देकर जन सहभागिता के लक्ष्य को सिद्व किया गया है। अतः यह आशा की जा सकती है कि इस व्यवस्था की सफलता से गांधीजी ग्राम स्वराज्य का सपना साकार होगा। लेकिन हमे चित्र का दुसरा पक्ष भी देखना चाहिए। राजनीति का अर्थ –''सत्ता के लिए संघर्ष''। अतः निपट स्वार्थी लोग इसमें संलिप्त हो जाते है। आरक्षण व्यवस्था के कारण जातिवाद या जनजातिवाद के तत्वो को शोषण किया जाता है जिससे ग्रामीन क्षेत्रो के शान्तिपूर्ण जीवन को क्षति पहुँच रही है। स्वार्थी व चतुर नेताओ ने इन निकायो में घूसकर अपनी सत्ता व सरकारी धन के दुरूपयोग करने के अवसर ढुंढ लिए है दलगत राजनीति ने गाँव के सोहार्दपूर्ण वातावरण को प्रदूषित किया है। यही स्थिति शहरो में भी देखी जा सकती है। समाज अवांछनीय तत्व हावी हो चुके है। सरकारी तंत्र उनका दमण करने में सक्षम नही हैं। पूर्व राष्ट्रपति आर0 वैकंटरमन ने इस स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ''अब पंचायत प्रशासन की जगह दलीय

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 03.09.2021
Approved: 20.09.2021

निरंजन सिंह

भारत में स्थानीय स्व शासनः एक कदम सफलता की ओर

RJPP 2021,
Vol. XIX, No. II,

pp.285-292
Article No. 37

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2021-vol-xix-no-1

प्रशासन आ गया है। हमे ऐसी व्यवस्था का विकास करना चाहिए कि बहुसंख्या के शासन की जगह समाज के सभी वर्गो की पर्याप्त भागीदारी हो सके।

किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में स्थानीय शासन का अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश के नागरिको में राजनीतिक चेतना के प्रचार और लोकतन्त्र के लिए वातावरण को बचाने में महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय संस्थाओ द्वारा किया जाता है। स्थानीय शासन संस्थाओ में भाग लेकर स्थानीय व्यक्ति स्वायत्त शासन की कला सीखते है, उन्हे नागरिकता का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। यही ज्ञान उन्हे राश्ट्रीय स्तर पर जनतन्त्र की स्थापना की ओर प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि स्थानीय शासन को आधुनिक लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थाओ का आवश्यक अंग माना जाता है। आज यह विचार जोर पकड़ रहा है कि स्थानीय शासन जितना अच्छा होगा वहा के नागरिक भी उतने ही अधिक सुखी एवं सम्पन्न होंगे। इसलिए आज विश्व के लगभग सभी सभ्य देशो में स्थानीय शासन को महत्वपूर्ण माना जाता है।[1]

हर राज्य में एक सरकार होती है जिसे केन्द्रीय सरकार कहते है। यह राज्य को अनिवार्य व वैकल्पिक कार्यो का निश्पादन करती है। यदि सारी शक्तियाँ उसी के पास है तो व्यवस्था एकात्मक कहलाती है। जैसा हम ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशो में देखते है। यदि शासन की शक्तियाँ केद्र व इकाइयों या प्रान्तो के बीच बाँट दी है और दोनो सरकारो को अपने आवंटिक क्षेत्रो में स्वायत्तशासी बनाया जाता है तो शासन संघात्मक हो जाता है जैसा हम अमेरिका, स्विटजरलैड़,कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अमेरिकी आदि देशो में देखते है।[2]

स्थानीय शासन को विभिन्न नामो से पुकारा जाता है जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन, फ्रांस में स्थानीय प्रशासन, अमेरिका में म्युनिसिपल प्रशासन आदि। जब भारत में ब्रिटिश राज था तो स्थानीय संस्थाओ को स्थानीय स्वशासन कहा जाता था किन्तु आज केन्द्र राज्यो में स्वशासन है इसलिए प्रशायकीय सस्थाओ के लिए भारतीय संविधान में स्थानीय शासन शब्द प्रयोग किये गये है। इसका अर्थ है कि स्थानीय मामलो का प्रबन्ध स्थानीय मामलो का प्रबन्ध स्थानीय व्यक्ति अपने प्रतिनिधियो के द्वारा स्वमं करे।[3]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जब संविधान निर्माताओ ने पंचायत राज की उपेक्षा कर दी तो इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया उन्होने कहा ''आजादी में जनता की इच्छा मुखरित होनी चाहिए इसलिए पंचायतो को न केवल पुनः जीवित किया जाना चाहिए बल्कि इन्हे अधिक से अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए ''। इस कथन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप संविधान के नीति निर्देशक सिद्वान्तो में अनुच्छेद 40 राज्य सूचि के अन्तर्गत राज्यो को पंचायतो के गठन का निर्देश दिया गया।[4]

संविधान में स्थानीय स्वशासन को मान्यता – भारत में स्थानीय प्रशासन का इतिहास 1869 से शुरू होता है जब बम्बई की सरकर ने जिला स्थानीय निधि समिति की स्थापना की। इसके सभी सदस्यगण सरकार द्वारा मनोनित किये जाते थे। वाय सराय लॉड़ रिपन को श्रेय दिया जा सकता है जिसने 1883 में स्थानीय स्वशासन का उदघाटन किया। उसने जिला स्थानीय बोर्डो की स्थापना की, तभी मराठावाडा व विदर्भ में ऐसो मण्डल की स्थापना की गई। 1889 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम लागू हुआ जिसके तहत कुछ ग्रामो को मिलाकर उनके समूह बनाये गये और फिर ग्रामीन प्रशासन का निर्धारण किया गया। 1920 में बम्बई की सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया, जिसमें निर्वाचित सदस्यो को स्थान दिया गया। ग्रामीन क्षेत्रो के वयस्क पुरूष वोट देते थे। इन प्रंचायतो को

कुछ काम सोंपे गये, जैसे छोटे टैक्स लगाना तथा ग्राम सुधार सम्बन्धी क्रेत्यो का निष्पादन करना, लेकिन यह व्यवस्था सच्चे अर्थ में स्थानीय स्वशासन का उदाहरण न बन सकी, क्योकि यह सब अधिकारी तन्त्र के हाथो में रहा। सच्चे अर्थ में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया स्वतन्तन्त्रा के बाद शुरू हुई। 1948 में बिहार में व 1953 में राजस्थान में पंचायत राज कानून बने। 1956 में राज्यो के पुनर्गठन के बाद यह प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। अब असम, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर, उडीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा बम्बई में पंचायत रात कानून लागू हो गए। इस दिसा में सफलता का उदाहरण राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर1959 को प्रंधानमत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उदघाटन हुआ। हमारे संविघान की सातवी अनुसूचि में दी गयी राज्य सूचि का पाँचवा बिन्दु इसी विषय से सम्बधित है स्वतन्त्रता के बाद राज्यो की सरकारो ने ऐसे कानून बनाये या अपने पुराने कानूनो में अनिवार्य संशोधन किये। 1950 में लागू हुआ। उसके अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य ग्रामीन क्षेत्रो में स्वशासन की इकाइयाँ बनायेगा। इसलिए 1957 में बलवन्त राय मेहता कमेटी रिपोर्ट आयी, जिसकी शिपारिस के आधार पर ग्राम पंचायतो को गठन किया गया। त्रि–पटलीय व्यवस्था की गयी जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायते, बीच में पंचायती समितियाँ, शिखर पर जिला परिषद का सुझाव दिया गया, लेकिन राज्यो की सरकार को यह शक्ति दी गई कि वे इसमें आवश्यक संशोधन करें। 1959 में पंचायत राज लागू हो गया। यह व्यवस्था वाँछित सफलता न पा सकी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसने पंचायती राज को सुधारने हेतु अशोक मेहता कमेटी का गठन किया। 1978 में इसकी रिपोर्ट आयी, लेकिन 1980 में इन्दिरा गाँधी सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नही किया। 1987 में सिंघवी कमेटी रिपोर्ट आयी जिसकी मुख्य सिपारिश यह थी कि स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाये। [5]

केन्द्र सरकार ने अनेक समितियो एंव आयोगो का गठन कर उन्हे स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओ को मजबूत व उत्पादनशील बनाने हेतु अच्छे तौर तरीके सुझाने का काम सौपा। इनके ग्रामीन विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्थाओ पर समिति 1985, एल एम सिंधवी समिति 1986, सरकारिया आयोग 1988, थनगन समिति 1988, नीति व कार्यक्रमो हेतु कांग्रेस समिति 1988 आदि का नाम लिया जा सकते है। [6]

1987 में सिंधवी कमेटी रिपोर्ट की मुख्य सिपारिशे निम्न प्रकार थी।

1. भारत में ग्राम व ग्राम सभा ने हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र का गणतन्त्रीय आधार स्थापित किया है। गाँधी जी ने इसे ग्राम स्वराज्य कहा है। इसी व्यवस्था को जीवित किया जाना चाहिए।

2. भारत के संविधान में एक नया अघ्याय जोडा जाये जिसमें स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया जाये तथा इसे संघीय व्यवस्था का तीसरा पटल बनाया जाये।

3. स्थानीय स्वशासन के निकासो का सर्वाधिक, स्वतन्त्र व स्वच्छ चुनाव हो यदि उन्हे निलम्बित किया जाये तो यह अवधि छ माह से अधिक न हो।

4. चुनाओ का कार्य भारत के चुनाव आयोग को सौपा जाये या राज्यो में चुनाव आयोग बनाया जाये जो भारत के चुनाव के नीचे काम करे

5. इन संस्थाओ की वित्तीय स्थिति सुधारी जाये ताकि अपने कार्यो को अच्छी तरह से निष्पादन कर सके।

अतः1989 में राजीव गांधी की सरकार ने लोक सभा ने संविधान संशोधन बिल पेश किया

जो राज्य सभा में फेल हो। इन्ही बिलो को नरसिंह राव की सरकार ने 1992 में पुनःपेश किया जाये जो पास होकर संविधान संशोधन न0 73 व 74 हो गये। 73 वे संविधान संशोधन का सम्बन्ध ग्राम पंचायातो से है इसने संविधान में 11वी अनुसूचि जोडी जिसमें ग्राम पंचायतो के 29 कार्य लिखे हुए है। 74 वे संविधान संशोधन का सम्बन्ध नगरपालिका से है जिसने संविधान में 12 वी अनुसूचि जोडी है जिसमें नगरपालिका के 18 कार्यो का वर्णन किया गया है।[7]

स्थानीय शासन की समस्याऐ

1. स्थानीय शासन का क्षेत्र छोटा होता है। इसलिए प्रभावशाली व्यक्ति या धनिकवर्ग उस पर अपना प्रभाव जमा सकता है।
2. अनुदार व्यक्ति नवीन परिवतनो के विरोधी होते है।
3. चुनावो के कारण दलबन्दी प्रभावी होते है और स्थानीय राजनीतिक दलो में बँट जाते है।
4. स्थानीय संस्थाऐ कभी–कभी क्षेत्रीयता को राष्टीयता के प्रबल मान बैटते है।
5. ये संस्थाऐ पक्षपात से ग्रसित हो सकती है।
6. इन पर प्रभावशाली नियंत्रण न होने से इनके शासन में गलतियाँ हो जाती है।[8]

पंचायती राज की संस्थाऐं

बलवन्त राय समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण की जो योजना प्रस्तुत की उसमें समिति द्वारा तीन प्रकार की संस्थाओ पर बल दिया था जो निम्न प्रकार थी।

1. ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत।
2. खण्ड स्तर पर पंचायत समिति।
3. जिला स्तर पर जिला परिषद।[9]

पंचायत राज के सुचांरू कार्यान्वयन के बारे में गांधी जी ने नियम (1931)

1. प्रांतीय प्रदेश कांग्रेस कमटी की लिखित अनुमति के बिना किसी पंचायत का गठन न किया जाये।
2. ढिढोरा पीटकर लोगो की सभा बुलाई जाये जिससे पंचो का चुनाव हों।
3. इस पंचायत को अपराधिक मामलो के निपटान की शक्तिया प्राप्त न हो।
4. ये पंचायते दीवानी के प्रकरण निपटा सकती है यदि विवाद ग्रत पक्ष ऐसा करने में सहमत हो।
5. किसी को बाध्य न किया जाये कि वह अपना विवाद पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करे।
6. हर पंचायत में कुछ महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। जैसे बालको की शिक्षा, सफाई चिकित्स, पेयजल, अस्पृष्यता निवारण, दलित सुधार।[10]

पंचायती राज संस्थाओ के चुनाव में मतदाताओ का दृष्टिकोण

पंचायत राज संस्थाओ को देश में प्रजातन्त्र की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया गया है। ये प्रजातन्त्र की प्रथम पाटशाला है। इनके माध्यम से नागरिको को शासन कार्य की जानकारी प्राप्त होती होती है। जिस देश के नागरिक शासन में हाथ बँटाते है उनमें राजनीतिक जागरूकता का उदय होता है। भारत में पंचायती राज की बुनियाद निर्वाचन व्यवस्था एंव वयस्क मताधिकार जैसे प्रजातांत्रिक आधार स्तम्भो पर ही रखी गयी है। पंचायत राज के संचालन का आधार विभिन्न स्तर पर संस्थानात्मक चुनावो को ही बनाया गया है, ताकि

1. ग्राम वासियो में स्थानीय समस्याओ के प्रति रूचि बढे,

2. लोंगो में राजनीतिक नागरिक जागरूकता बढे,

3. वोट देने के अधिकार के उचित प्रयोग की क्षमता का विकास हो,

4. मताधिकार का प्रयोग का प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जा सके,

5. मतदाता की उदासीनता दूर करना क्योकि चुनाव ही हमारे स्वराज्य देश के अधिकांश भाग में पंचायत राज यह परीक्षण धीरे–धीरे रही क्योकि ग्रामीन मतदाता की सोच संकुचित एंव रूढिवादी है।[11]

ग्राम पंचायते

73 वे संविधान संशोधन ने संविधान के भाग 11 में ग्राम पंचायतो से सम्बन्धी प्रावधान रखे गये है जिन्हे निम्न प्रकार इंगित किया जा सकता है।

1. पंचायत राज त्रि–स्तरीय होगा– सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति, शिखर पर जिला परिषद होगी।

2. पंचायतो के चुनाव पाँच वर्षीय होंगे– राज्यपाल किसी भी समय इन निकायो को भंग कर सकता है, लेकिन आगामी छ महीने में उनके चुनाव होने चाहिए।

3. इन निकायो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछडे वर्गो को उनकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित अनुपात में स्थानो को आरक्षण दिया जायेगा, लेकिन महिलाओ को 1/3 स्थान आरक्षित होगे।

4. राज्य का चुनाव आयुक्त इन चुनाव को करायेगा। उसे राज्यपाल नियुक्त करेगा, उसका स्तर उच्च न्यायालय के जज के बराबर होगा।

5. ग्राम पंचायतो के प्रधान या सरंपच का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। यह राज्य का कानून निर्धारित करेगा। राज्य का कानून ही उम्मीदवारो की न्यूनतम आयु तथा अन्य योग्यताएँ निर्धारित करेगा।

6. जहा जनजातीय परिषदे काम कर रही है जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड वहाँ पंचायत राज्य व्यवस्था लागू नही होगी।[12]

नगरपालिकाऐं

74वे संविधान संशोधन का सम्बन्ध नगरीय प्रशासन से है। इसने संविधान में भाग नो अ जोडा है तथा 12वी अनुसूचि जोडी है। जिसमें उनके 18 कार्यो का वर्णन किया गया है। इसके मुख्य बिन्दओ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. राज्य की सरकार अपने कानून से इस नगरीय निकायो की स्थापना करेगी। किसी भी नगरपालिका को महानगरपालिका बनाया जा सकता है। कानून द्वारा उसकी सदस्य संख्या निश्चित की जायेगी जिनका चुनाव होगा, किन्तु उस क्षेत्र के सांसदो व विधायको को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

2. इन निकायो का कार्यकाल पाँच वर्ष है। राज्यपाल उन्हे किसी समय भंग कर सकता है, लेकिन आगामी छ महीने के भीतर उनके चुनाव हो जाने चाहिए।

3. इन निकायो में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो व पिछडो वर्गो को उनकी

जनसंख्या के अनुपात में स्थानो को आरक्षण दिया जाये किन्तु महिलाओ को 1/3 स्थान आरक्षित होगे।

4. नगरपालिका या महानगरपालिका के अध्यक्ष का चनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा जैसा राज्य के कानून में निर्दिष्ट हो।

5. इनके चुनाव के राज्य के चुनाव आयुक्त करायेगा जिसका स्तर उच्च न्यायालय के जज के समान होगा।

6. यह व्यवस्था सभी राज्यो में लागू होगी, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से इसे किसी संघ–शासित खेत्रो में लागू किया जा सकता है।

7. नगरपालिका छोटे स्तर के टेक्स लगा सकती है जैसे प्रवेश शुल्क वाहन, मेला व बाजार शुल्क जैसा राज्य के कानून में निर्दिष्ट हो उन्हे राज्य की सरकार से वित्तीय सहायता भी मिलेगी।

8. राज्यपाल अपने राज्य के वित आयोग का गठन करेगा जिसकी सिपारिशो के आधार पर राज्य के बजट में से नगरपालिकाओ को विशेष अनुदान दिये जायेगे।

9. संविधान की 12 वी अनुसूचि में नगरपालिका के 18 कार्य दिये गये है जैसे नगरीय नियोजन, भवन निर्माण आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु नियोजन, सडके व पुल, जल आपूति,सार्वजनिक स्वास्थ्य व सफाई, इत्यादि।

1993–94 में भारत अनेक राज्यो ने अपने पंचायती राज कानूनो में अनिवार्य संशोधन किये। तब यह देखा गया कि यदि किसी राज्य में ऐसे अनुसूचित क्षैत्र है, तो वहा ग्राम पंचायतो की शक्तियो को सीमित किया जाए। इसलिए 1996 में संसद ने यह कानून बनाया जिसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार है।

1. यदि उस राज्य का विधानमंडल पंचायतो के बारे में कोई कानून बनाती है, तो वह वहाँ की जनजातियो के पथाजनित कानून, सामाजिक व धार्मिक व्यवहारो तथा उनके संशाधनो के परम्परागत प्रबन्धनीय तरीको के अनुकूल होना चाहिए।

2. ऐसे हर गाँव की अपनी गाँव सभा होगी जिसमें वे सभी लोग शामिल होगे जिनके नाम वहाँ की ग्राम पंचायतो की मतदाता सूचि में दिये गये हो, तथा गांव सभा को यह शक्ति प्राप्त होग कि वह के लोगो के रिवाजो, उनकी सांस्कृतिक पहचान तथा उनके परम्परागतविवाद निपटान के तरीको को सुरक्षित रखे।

3. यहा गांव सभा उन योजनाओ व कार्यक्रमो को पास करेगी जो वहा की ग्राम पंचायत अपने पूरे क्षेत्र के लिए बनाए तथा ग्राम पंचायत इस ग्राम सभा से प्रभावपत्र लेगी कि वहाँ स्वीकर्षति धन का सही व्यय हुआ है।

4. राज्य की सरकार वहाँ की गांव पंचायत में अनुसूचित जनजातियो के कुछ लोगो को मनोनित कर सकती है। यदि उनका पंचायतो, पंचायत समिति व जिला परिशदो में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है, किन्तु यह संख्या कुल निर्वाचित सदस्यो की 1/10 प्रतिशत से अधिक न हो।

संवैधानिक स्तर का प्रभाव

जैसे पहले ही कहा जा चुका है नगरीय प्रसाशन ब्रिटिश राज की देन है, जबकि पंचायत राज स्वतन्त्रता के बाद आया। इसके निम्न कारण बताये जा सकते है।

1. नगरीय एंव ग्रामीन निकायो का जीवन राज्य की सरकार की इच्छा पर निर्भर था।

मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी समय उन्हे भंग कर सकता था। अगले चुनाव करना सरकार के स्वविवेक पर आधारित था।

2. इन निकायो पर सरकारीतंत्र हावी था। जिला कलक्टर उनके कार्यो में हस्तक्षेप करता था। इन निकायो के भंग हो जाने बाद सारा काम उसी की इच्छा के अनुसार होता था। नौकरशाही के दबदबे ने इन निकायो को पनपने नही दिया।

3. इन निकायो की आर्धिक सिथिति बहुत दुर्बल थी। वे राज्य के थोडे बहुत अंशदान से अपने काम करती थी। वित्तीय लेकिन सिंधवी कमेटी रिपोर्ट 1987 की सिपारिशो पर आधारित नयी व्यवस्था अति उत्तम है। क्योकि

i- अब नगरीय व ग्रामीन प्रसाशन को इकाइयो को संवैधानिक दर्जा मिल गया है।

ii- उनका कार्यकाल पाँच वर्ष है। यदि राज्यपाल उन्हे भंग करता है तो आगामी छ महीनो में नये चुनाव होने चाहिए।

iii- इन निकायो में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो में अन्य पिछडे वर्गो तथा महिलाओ के लिए स्थानो का आरक्षण किया गया है।

iv- कानूनो द्वारा इन निकायो में उस क्षेत्र के सांसदो व विधालयो को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

v- अब ये निकाये नौकरशाही कें दबदबे से मुक्त है। कलक्टर का वर्चस्व समाप्त हो चुका है।

vi- इन निकायो की वित्तीय सिथिति सुधर गयी है। वे छोटे–छोटे कर लगा सकती है तथा राज्य की सरकार उन्हे विशेष अनुदान देती है। [13]

संदर्भ

1. डा0 सुषमा गर्ग, ''राजनीति विज्ञान'' आगरा प्रकाशन, पृष्ट 236,
2. डा0 जे0 सी0 जौहरी, ''राजनीति विज्ञान''एस0 बी0 पी0 डी0 पब्लिकेशन, आगरा 2017,पेज न0 238,
3. डा0 सुषमा गर्ग, ''राजनीति विज्ञान'' आगरा प्रकाशन, पृष्ट 236,
4. डा0 पुखराज जैन, ''राष्टीय आन्दोलन तथा भारत का संविधान'' एस बी पी डी प्रकाशन आगरा, पृष्ट 214,
5. डा0 जे0 सी0 जौहरी, ''राजनीति विज्ञान''एस बी पीडी पब्लिकेशन, आगरा 2017,पेज न0 239,40,
6. डा0 बी0 एन0 चौधरी एंव युवराज कुमार,''भारत मे संवैधानिक और शासन'' दिल्ली प्रकाशन, संस्करण, 1913,पृष्ट 234,
7. डा0 जे0 सी0 जौहरी, ''राजनीति विज्ञान''एस बी पीडी पब्लिकेशन, आगरा 2017,पेज न0 241,
8. डा0 बी0 एन0 चौधरी एंव युवराज कुमार,''भारत मे संवैधानिक और शासन'' दिल्ली प्रकाशन, संस्करण, 1913,पृष्ट 235,
9. डा0 अजय सिंह, ''भारतीय राष्टीय आन्दोलन एंव भारत का संविधान '' अग्रवाल आगरा प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2013–14 पृष्ट 140,

10. डा0 जे0 सी0 जौहरी, ''राजनीति विज्ञान''एस बी पीडी पब्लिकेशन, आगरा 2017,पेज न0 243, डा0 बी0 एन0 चौधरी एंव युवराज कुमार,''भारत मे संवैधानिक और शासन'' दिल्ली प्रकाशन, संस्करण, 1913,पृष्ट 241,42,
11. डा0 पुखराज जैन डा0 बी0 एल0 फडियां, भारतीय शासन एंव राजनीति, साहित्य पब्लिकेशन आगरा, 1999,पृष्ट 598,
12. डा0 बी0 एन0 चौधरी एंव युवराज कुमार,''भारत मे संवैधानिक और शासन'' दिल्ली प्रकाशन, संस्करण, 1913,पृष्ट 241,42,
13. डा0 जे0 सी0 जौहरी, ''राजनीति विज्ञान''एस0 बी0 पी0 डी0 पब्लिकेशन, आगरा 2017,पेज न0 238,